न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 715 / 2214

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अणदाराम पुत्र रवाराम 2. दलाराम पुत्र रवाराम 3. सौनी बेवा रवाराम 4. उदाराम पुत्र निम्बाराम 5. छोगाराम पुत्र निम्बाराम 6. ग्लाराम पुत्र निम्बाराम 7. धनाराम पुत्र निम्बाराम जाति मेगवाल निवासीगण चितलवाना		1. लच्छाराम पुत्र किरतुराराम मेगवाल निवासी चितलवाना 2. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना 3. व्यवस्थापक एम जी बी बैंक शाखा – चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 04/07/2023

उपस्थितः

1 श्री जेताराम विश्नोई वकील प्रार्थी ।

2. श्री रघुवरी पुरोहीत वकील अप्रार्थीगण ।

3. तहसीलदार चितलवाना

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया की मौजा चितलवाना के पुराना खेत खसरा संख्या 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी सोयम आये हुए है जिसके द्वितिय सैंटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा संख्या 1475 रकबा 0.15 हैक्टर , खसरा संख्या 1476 रकबा 0.83 हैक्टर का नवसृजन किया गया उक्त नवीन खसरा का बंटवाड़ा होने से 4755 / 1476 व 4753 / 1475 का नवीन खसरा का सृजन किया गया । पुराना खसरा 1101 द्वितिय सैंटलमेन्ट से पुर्व बारानी सोयम था तथा इस खेत में कोई रास्ता नहीं था [illegible] लमेन्ट ने गलत तरीके से बिना किसी आधार खेत की भूमि को रास्ते [illegible] रास्ता दर्ज कर दिया गया । अतः हम प्रार्थीगण के खाते [illegible] संख्या 1101 के नवसृ[illegible] सरा संख्या 1475 , 4753 / 1475 व 4752 / 1475 की किस्म [illegible] रिकोर्ड अनुसार गैर मु[illegible] रस्ता से बारानी सोयम व नक्शे में रास्ता की आकृति को हटाने का आदेश फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं राज पैरोकार तहसीलदार चितलवाना से जवाब एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट मंगवाई गई ।

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया मौजा चितलवाना के पुराना खसरा संख्या 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम राजस्व रिकोर्ड में प्रथम सेटलमेंट में दर्ज था जिसका द्वितिय सेंटलमेन्ट ने नवीन खसरा संख्या 1475 रकबा 0.15 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा संख्या 1476 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी सोयम नवसृजन किया गया तथा खसरा संख्या 1475 की आकृति रास्ते के अनुरूप नक्शा में दर्ज की । उक्त खसरा संख्या 1475 एवं 1476 का बंटवाड़ा होने पर खसरा संख्या 1475 के नये खसरा 4752/1475 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 4753/1475 रकबा 0.06 हैक्टर एवं 1475 रकबा 0.04 हैक्टर दर्ज कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई ।

तहसीलदार चितलवाना की जवाब का अवलोकन किया गया जिस अनुसार मौजा चितलवाना के पुराना खसरा संख्या 1101 की भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की थी जिसकी किस्म बारानी सोयम थी तथा प्रथम सेटलमेंट के वक्त रिकोर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं था । द्वितिय सेटलमेंट के वक्त उक्त खसरा संख्या में रास्ता दर्ज किया गया है । वर्तमान में खसरा संख्या 1475 रकबा 0.15 हैक्टर का बंटवाड़ा के उपरान्त नवीन खसरा संख्या 1475 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 4752/1475 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा संख्या 4753/1475 रकबा 0.06 हैक्टर बने है । प्रार्थीगण खसरा संख्या 1101 के नवीन खसरा संख्या पर बंटवाड़ा अनुसार वादीगण काबिज है । अप्रार्थीगण संख्या 01 ने वाद के सभी पदो का स्वीकार किया है ।

तहसीलदार चितलवाना के जवाब एवं पत्रावली के सलंग्न दस्जावेज के अनुसार मौजा चितलवाना के पुराना खसरा संख्या 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के द्वितिय भू–प्रबन्ध द्वारा नवीन खसरा 1475 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज बिना विधिक अधिकार के किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा चितलवाना के खसरा संख्या 1475 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 4752/1475 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा संख्या 4753/1475 रकबा 0.06 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बारानी सोयम दुरस्त कर तहसीलदार चितवाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरान् की किस्म राजस्व रिकोर्ड में गै.मु. रास्ता [illegible] तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो । पक्षकार खर्चा अप[illegible] वहन करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:33 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमानाराम)
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 04/07/2023 को खले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना